**संख्या-69/2019/483/71-3-2019-जी-585/2012टीसी**

**प्रेषक,**

**मुकेश कुमार मेश्राम,**
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**महानिदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3** **लखनऊ : दिनॉक 29 अप्रैल, 2019**

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर के निर्माण कार्य हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-6/2015/2449/71-1-2014-जी-585/2012, दिनॉक 12-01-2015 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 55416.71 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृत लागत रू0 55416.71 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 20711.25 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

| क्र0सं0 | शासनादेश संख्या व दिनॉक | धनराशि (रू0 लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | शासनादेश संख्या-6/2015/2449/71-1-2014-जी-585/2012, दिनॉक 12-01-2015 | 575.80 |
| 2 | शासनादेश संख्या-49/2015/517/71-1-2015-जी-585/2012, दिनॉक 18-03-2015 | 1500.00 |
| 3 | शासनादेश संख्या-71/2015/556/71-1-2015-जी-585/2012, दिनॉक 27-03-2015 | 212.10 |
| 4 | शासनादेश संख्या-153/2015/1797/71-1-2015-जी-585/2012, दिनॉक 02-09-2015 | 2500.00 |
| 5 | शासनादेश संख्या-222/2015/2764/71-1-2015-जी-585/2012, दिनॉक 28-12-2015 | 2227.40 |
| 6 | शासनादेश संख्या-23/2016/390/71-1-2016-जी-585/2012, दिनॉक 23-02-2016 | 1272.60 |
| 7 | शासनादेश संख्या-140/2016/1198/71-1-2016-जी-585/2012, दिनॉक 27-06-2016 | 2400.00 |
| 8 | शासनादेश संख्या-195/2016/2302/71-1-2016-जी-585/2012, दिनॉक 12-09-2016 | 2091.00 |
| 9 | शासनादेश संख्या-17/2017/122/71-1-2017-जी-585/2012, दिनॉक 31-01-2017 | 952.54 |
| 10 | शासनादेश संख्या-141/2017/4203/71-1-2017-जी-585/2012, दिनॉक 28-12-2017 | 950.00 |
| 11 | शासनादेश संख्या-28/2018/43/71-3-2018-जी-24/2018, दिनॉक 05-03-2018 | 1272.60 |
| 12 | शासनादेश संख्या-01/2018/88/71-3-2018-जी-585/2012टीसी, दिनॉक 24-03-2018 | 984.61 |
| 13 | शासनादेश संख्या-19/2018/364/71-3-2018-जी-585/2012टीसी, दिनॉक 29-06-2018 | 2500.00 |
| 14 | शासनादेश संख्या-27/2018/852/71-3-2018-जी-585/2012टीसी,दिनॉक 10-10-2018 | 1272.60 |
| | **योग-** | **20711.25** |

2- इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2019-20/43, दिनॉक 25-04-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, जौनपुर के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 24-वृहत् निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रू0 40,00,00,000/- (रूपये चालीस करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्हीं अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/महानिदेशक का होगा।
4. प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति की शर्तों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. शासनादेश संख्या-6/2015/2449/71-1-2014-जी-585/2012, दिनॉक 12-01-2015 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।
8. प्रायोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाए तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित की जाए।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-47-राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

**भवदीय,**

**(मुकेश कुमार मेश्राम)**
सचिव।

**संख्या:-69/2019/483(1)/71-3-2019, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(अनिल कुमार)**
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in